# ।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

| राजस्व वाद नं० | तारीख रज्जू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 1/25 | 09.03.2021 | 22.04.2022 |

01– बनवारी लाल पुत्र भोन्दूराम, उम्र करीब साल, जाति महाजन, निवासी चांदोली, तहसील व जिला अलवर –वादी

बनाम

01– रामचन्दर पुत्र मालाराम खत्री, जाति खत्री, निवासी नादनहेडी, तहसील व जिला अलवर –असल प्रतिवादी

02– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर लैण्ड होल्डर –तकमीली प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–: निर्णय :–**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 718 रकबा 0.01 है०, 719 रकबा 0.70 है० वाके ग्राम चांदोली तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो कि विवादित आराजी है। वादी ने असल प्रतिवांदी रामचन्दर से आराजी खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम नादनहेडी तहसील व जिला अलवर को जर्ये बैयनामा दिनांक 07.07.1984 को खरीद किया है। जो बैयनामा उप पंजीयक अलवर से दिनांक 07.07.1984 को पंजीबद्ध किया गया है। वादी का कब्जा वक्त खरीद से ही चला आ रहा है। बैयनामा के आधार पर वाद के पक्ष में इंतकाल संख्या 392 खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का दर्ज व स्वीकार किया गया है। उक्त इंतकाल के तहत कागजात माल जमाबन्दी सम्वत 2047 में वादी के नाम का इन्द्राज हो रहा है। सम्वत 2051 में वक्त बन्दोबस्त आराजी खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 718 रकबा 0.01 है० व खसरा नम्बर 719 रकबा 0.70 है० में वादी का 23/36 एवं प्रतिवादी का 13/36 हिस्सा दर्ज किया गया है। असल प्रतिवादी का 8/36 हिस्सा होना चाहिए था। सैटलमेन्ट कर्मचारियान द्वारा सैटलमेन्ट से पूर्व के इन्द्राजात को रिपीट किया जाना चाहिए था परन्तु उन्होने गलत तरीके

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner

पर उक्त इन्द्राज किया है जो गलत है। इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को नही थी। दिनांक 02.07.2019 को बैंक में लोन लेने के लिए अपने हिस्से की आराजी रहन रखने गया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। वादी ने प्रतिवादी से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत कहा तो उसने इन्द्राज दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी उक्त इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा को रहन, बैय हिबा वगै० के जरिये मुन्तकिल व मकफूल करने पर उतारू हो रहा है एवं जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि प्रतिवादी ने वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया और वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही हो सकेगी। पक्षकारान में झगडे व मुकदमेबाजी होने का अन्देशा है। इस कारण वादी प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है। दिनांक 20.08.2019 को जबरन कब्जा करने व आराजी को बेचान करने की धमकी दी है। जिस कारण मौजूदा वाद दायर किया जाना लाजिम आया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति वादी के पक्ष में है। दावा अर्जेन्ट नेचर का है। असल प्रतिवादी संख्या–1 आराजी मुतनाजा को रहन, बैय द्वारा बेचान करने पर उतारू हो रहा है। इस कारण 80 सीपीसी को नोटिस मियाद 2 माह का दिया जाना संभव नही होने के कारण प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। दावा हाजा में बिनायदावी व बिनायमुखासमत, दिनांक 02.07.2019 को जब मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर बैक से लोन लेने गया व दिनांक 20.08.2019 जिस दिन असल प्रतिवादी ने इन्द्राज दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया एवं आराजी पर जबरन कब्जा करने व आराजी को रहन बैय हिबे द्वारा मुन्तकिल करने की धमकी दी, पैदा हुई।

साविक आराजी खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 718 रकबा 0.01 है०, 719 रकबा 0.70 है० वाके ग्राम नादनहेडी जिसमें वादी का 28/36 हिस्सा व प्रतिवादी का 8/36 हिस्सा होना चाहिए था को दुरूस्त करने व आराजी को रहन बैय हिबे द्वारा बेचान नही करने व वादी की आराजी पर जबरन कब्जा नही करने बाबत प्रतिवादी को पावन्द किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील वादी द्वारा वादी के बयान कराये गये एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये।

कलक्टर

Scanned with CamScanner

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने ाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन केया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध स्तावेजात यथा इंतकाल संख्या 392 दिनांक 15.09.1984 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2047 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2047 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 प्रदर्श–5, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 प्रदर्श–7 एवं सत्यप्रतिलिपि नकल पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2050, खसरा गिरदावरी सम्वत 2049 पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅच है कि साबिक खसरा नम्बर 220 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 718 रकबा 0.01 है० व 719 रकबा 0.70 है० किता 2 रकबा 0.71 है० कायम किये गये है में से वादी द्वारा 2 बीघा 3 बिस्वा (0.54 है०) आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है जिसका इंतकाल संख्या 392 दर्ज व मंजूर वादी के पक्ष में हुआ है।

अतः हाल खसरा नम्बर 718 रकबा 0.01 है० व 719 रकबा 0.70 है० कुल किता 2 रकबा 0.71 है० वाके ग्राम नादनहेडी तहसील व जिला अलवर में से वादी बनवारी लाल पुत्र भोन्दूराम का 54/71 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या–1 रामचन्दर पुत्र मालाराम को 17/71 हिस्सा का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with CamScanner